(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-37/2004-U.3(A)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-1,
Dated the 16th December, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-37/2004-U.3(A) dated 8th November, 2006, on the advice of UGC, had declared Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category for a provisional period of five years.

3. **And whereas**, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the **average** grade to Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh from 08.11.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be

University will continue to get their Degrees from the Shobhit Institute of Engineering & Technology (Deemed to be University), Meerut, Uttar Pradesh.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh.

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Higher Education Department, Government of UP, Lucknow.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
7. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
8. Guard file / Notification file.

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)
सं.एफ. 9-37/2004-यू.3(ए)
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
आईसीआर अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
दिनांक: 16 दिसंबर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 08.11.2006 की अधिसूचना सं.9-37/2004-यू.3 के द्वारा शोभित इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली के तहत पांच वर्ष की अंतरिम अवधि के लिए नई श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. **और जबकि,** यूजीसी ने शोभित इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन और शैणक्षिक परिणामों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में संस्थान के शैणक्षिक प्रदर्शन पर शोभित इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश को औसत ग्रेड प्रदान किया और उनके दर्जे को संबद्ध विश्वविद्यालय को बनाए रखनी की संस्तुति की। आयोग द्वारा 16.10.2019 को आयोजित 544वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

"आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय के दर्जे को संबद्ध विश्वविद्यालय बनाए रखने/विस्तारित करने का संकल्प लिया जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा निर्धारित किया गया था। हालांकि, जिन संबद्ध विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए खराब और औसत निर्धारित किया गया था, उन्हें जारी नहीं रखा जाएगा/विस्तरण नहीं दिया जाएगा।"

4. इसके अतिरिक्त, यूजीसी की संस्तुति पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। अब, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा इसके अध्यधीन कि अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात 2020-21 में छात्रों के दाखिले से पूर्व

शैक्षणिक परिणामों और कार्य-निष्पादन मापदंडों के संबंध में समविश्वविद्यालय का पुन: मूल्यांकन किया जाएगा, दिनांक 08.11.2011 से 30.06.2020 तक समविश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाती है। हालांकि, समविश्वविद्यालय में पहले से ही दाखिल छात्र अपनी डिग्रियां शोभित इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (समविश्वविद्यालय), मेरठ, उत्तर प्रदेश से ही लेते रहेंगे।

5. शोभित इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/ विनियमों में समय-समय पर जारी उल्लिखित अन्य शर्तों पालन करता रहेगा।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 011-23073687

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली- 110002.

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित:</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, शोभित इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-11007.
4. प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
8. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 011-23073687